“विश्व निवेशक सप्ताह - 2024” के अवसर पर सेबी की अध्यक्ष सुश्री माधबी पुरी बुच का संदेश

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेशकों की भूमिका सबसे अहम है, इसीलिए उनके हितों का संरक्षण करना सेबी के मुख्य कार्यों में से एक है । सेबी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि निवेश की प्रक्रिया इतनी सुरक्षित और पारदर्शी हो कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक इस बाजार की ओर आकर्षित हों और वे यहाँ निवेश करें । इस उद्देश्य को हासिल करने में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि तकनीक की वजह से ही ई-केवाईसी हो पा रहा है, आईपीओ के लिए अस्बा जैसी सुविधा उपलब्ध है, बॉण्ड के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है । इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा हेतु म्यूचुअल फंड सेंट्रल जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके जरिए निवेशक बड़ी आसानी से भारत में किसी भी म्यूचुअल फंड से संबंधित अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं ।

एक तरफ जहाँ सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का बेहतर ढंग से निवारण सुनिश्चित करने के लिए स्कोर्स 2.0 की शुरूआत की, तो वहीं दूसरी तरफ सेबी उनके विवाद सुलझाने के उद्देश्य से स्मार्ट ओडीआर जैसी सुविधा लेकर आया । स्कोर्स 2.0 के जरिए निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और दर्ज की गई शिकायतें स्वत: ही संबंधित एंटिटी के पास चली जाती हैं । सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के इंटरमीडियरी के साथ विवाद होने पर विवादों को सुलझाने की एक सहज व्यवस्था स्मार्ट ओडीआर के तौर पर उपलब्ध करवाई गई है ।

चूँकि आज निवेश की पूरी प्रक्रिया तकनीक से जुड़ चुकी है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि सुरक्षा के लिहाज से इस बात का ध्यान रखा जाए कि निवेशक ऐसे पासवर्ड बनाएं जिसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो; वे दो स्तरों पर पुष्टि की व्यवस्था अपनाएँ; निजी और वित्तीय जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रखें; और निवेश के संबंध में ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की जाँच-परख अवश्य कर लें । यदि कहीं बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा देने का वादा किया गया हो तो वे ऐसे वादों से सावधान रहें, निवेशकों को शिक्षित करने के नाम पर यदि किसी स्टॉक में निवेश करने की सलाह दी जा रही हो तो वे पूरी सावधानी बरतें, सोशल मीडिया पर बिना माँगे दी जाने वाली सलाहों से भी सावधान रहें और इस बात का पूरा ख्याल रखें कि वे केवल सेबी से रजिस्टर इंटरमीडियरी के साथ ही लेनदेन करें ।

हमारा यह मानना है कि शिक्षित निवेशक ही सुरक्षित निवेशक होता है । इस बात के मद्देनज़र, सेबी निवेशकों को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए न केवल उनके लिए तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, बल्कि सेबी द्वारा अपनी निवेशक वेबसाइट और सारथी मोबाइल ऐप पर भी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है । इतना ही नहीं एन.आई.एस.एम. निवेशकों के लिए प्रमाणीकरण परीक्षा आयोजित करता है, जिसके लिए निवेशकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सेबी और एम.आई.आई. द्वारा प्रतिभूति बाजार से जुड़े विभिन्न विषयों पर वीडियो और रील्स बनाए जाते हैं, इंफोग्राफिक तैयार किए जाते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और पोडकास्ट भी बनाए जाते हैं ।

विश्व निवेशक सप्ताह आयस्को की एक पहल है और यह सप्ताह दुनियाभर में मनाया जाता है । इस वर्ष भारत में विश्व निवेशक सप्ताह 14 अक्तूबर से 20 अक्तूबर 2024 तक मनाया जाएगा । इस दौरान, देशभर में निवेशकों को जागरूक करने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाए जाएंगे और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी । इन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का उद्देश्य यही है कि निवेशकों को यह बताया जा सके कि उन्हें निवेश करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही उनका मार्गदर्शन भी किया जा सके ।

मेरी यही कामना है कि निवेशक सोच-समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेश करें और निवेश से संबंधित अपने लक्ष्य हासिल करें ।

माधबी पुरी बुच